

# बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञापित संख्या - पी.आर. 426/2023

## बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरने जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

एतद द्वारा निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-07/विधि-186/2023-1781 दिनांक 10.10.2023 के माध्यम से बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 के आयोजन हेतु मार्गदर्शिका उपलब्ध कराई गई है, जिसमें सामान्य विद्यालयों में अध्यापन विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक अनुसंधान प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष अध्यापकों के कक्षा 1 से 5 के लिए 5534 एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 1745 पद सुनिश्चित किए गए हैं। इस हेतु बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 का आयोजन किया जाना है। इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करना किसी भी आवेदक को रोजगार का अधिकार नहीं देगा क्योंकि यह परीक्षा नियुक्ति के लिए केवल एक पात्रता मापदंड है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट <https://www.bsebstet.com/> पर दिनांक 02.12.2023 से 22.12.2023 तक की अवधि में ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क समर्पित कर सकते हैं।

1. इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही-सही भरना जाना सुनिश्चित करेंगे।  
1.2 अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध कदापि मान्य नहीं होगा।

2. परीक्षा के विषय: बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 में दो पत्र होंगे :-  
(क) प्रथम पत्र- वर्ग 1 से 5 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता के लिए।  
(ख) द्वितीय पत्र- वर्ग 6 से 8 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता के लिए।  
(ग) प्रथम एवं द्वितीय पत्र- वैसे व्यक्ति जो वर्ग 1 से 8 तक के दोनों स्तर में विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता हासिल करना चाहते हैं उन्हें दोनों पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी।  
प्रथम पत्र के अंतर्गत प्रश्न एवं अंक:-

| क्र.सं. | विषय  | कुल प्रश्न | कुल अंक | परीक्षा अवधि |
|---------|---|------------|---------|--------------|
| (i)     | बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ) | 30 प्रश्न  | 30 अंक  | 150 मिनट     |
| (ii)    | भाषा I, अनिवार्य (हिन्दी/उर्दू/बांग्ला में से कोई एक)             | 30 प्रश्न  | 30 अंक  |              |
| (iii)   | भाषा II, अनिवार्य (अंग्रेजी)                                      | 30 प्रश्न  | 30 अंक  |              |
| (iv)    | गणित  | 30 प्रश्न  | 30 अंक  |              |
| (v)     | पर्यावरण अध्ययन   | 30 प्रश्न  | 30 अंक  |              |
| कुल     |   | 150        | 150     |              |

### द्वितीय पत्र के अंतर्गत प्रश्न एवं अंक:-

| क्र.सं. | विषय  | कुल प्रश्न | कुल अंक | परीक्षा अवधि |
|---------|---|------------|---------|--------------|
| (i)     | बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र (विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ) | 30 प्रश्न  | 30 अंक  | 150 मिनट     |
| (ii)    | भाषा I, अनिवार्य (हिन्दी/उर्दू/बांग्ला में से कोई एक)             | 30 प्रश्न  | 30 अंक  |              |
| (iii)   | भाषा II, अनिवार्य (अंग्रेजी/हिन्दी/उर्दू/बांग्ला/संस्कृत)         | 30 प्रश्न  | 30 अंक  |              |
| (iv)    | गणित एवं विज्ञान अथवा सामाजिक विज्ञान                             | 60 प्रश्न  | 60 अंक  |              |
| कुल     |   | 150        | 150     |              |

प्रथम पत्र के प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा-1 से 5 तक के पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे परन्तु प्रश्नों का कठिनाई स्तर (Level of Difficulty) एवं लंबाई (Linkage) माध्यमिक स्तर का हो सकता है। इसी प्रकार द्वितीय पत्रों के प्रश्न सरकार द्वारा अनुमोदित कक्षा-6 से 8 तक के पाठ्यक्रम के आधार पर होंगे परन्तु प्रश्नों का कठिनाई स्तर एवं लंबाई उच्चतर माध्यमिक स्तर का हो सकता है।

3. परीक्षा का पैटर्न :-  
(क) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 के सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (Multiple Choice Questions) होंगे। (ख) प्रत्येक पत्र में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। (ग) प्रत्येक प्रश्न का मान 1 अंक का होगा। (घ) निर्दिष्ट मार्किंग नहीं होगी। (ङ) परीक्षा की अवधि 150 मिनट अर्थात् 2:30 घंटा (दो घंटा तीन मिनट) की होगी। (च) परीक्षा Computer Based Test (CBT) माध्यम से आयोजित की जाएगी।  
4. उत्तीर्णता :-  
(क) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 का उत्तीर्णता निम्नवत होगी :-

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| सामान्य               | 50% अंक   |
| पिछड़ा वर्ग           | 45.5% अंक |
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग    | 42.5% अंक |
| अनु० जाति/अनु० जनजाति | 40% अंक   |
| दिव्यांग              | 40% अंक   |
| महिला                 | 40% अंक   |

5. पाठ्यक्रम :- पत्र-1 (कक्षा 1-5 तक के पाठ्यक्रम) एवं पत्र-2 (कक्षा 6-8 तक के पाठ्यक्रम) समिति की वेबसाइट पर वेबसाइट <https://www.bsebstet.com/> पर उपलब्ध है, जहाँ से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं।

6. अनिवार्य अर्हता:  
(क) आवेदक भारत का नागरिक हो। (ख) बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवावर्ती) नियमावली (यथा संशोधित) 2023 द्वारा निर्धारित योग्यता/अर्हतावाली उम्मीदवार बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 के आवेदक हो सकते हैं। (ग) आयु सीमा :- (i) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 अंतर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट-ऑफ तिथि 01.08.2023 होगी। (ii) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 अंतर्गत वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए कट-ऑफ तिथि 01.08.2023 को आवेदकों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। (iii) अधिकतम आयु-अनारक्षित (पुरुष)-37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्गों की महिला एवं अनारक्षित महिला-40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरुष, महिला)-42 वर्ष है। (iv) पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत वैसे शिक्षक, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवावर्ती) नियमावली (अद्यतन यथा संशोधित) 2023 के प्रावधानों के तहत विशेष विद्यालय अध्यापक की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अर्हता रखते हों, के लिए अधिकतम आयु स्थिरीकृत रहेगा। (v) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक-962 दिनांक-22.01.2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगता को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान है। आवेदन करने की तिथि में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। (vi) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-5374 दिनांक 02.04.2013 के आलोक में भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिक्षा सेवा में बिताई हुई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी, बशर्त कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (vii) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता के न्यूनतम प्रतिशत अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।

7. शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता :-  
(i) वर्ग 1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता :-  
(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डी0ई0एल0एड0 के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR No- धारित करता हो।  
वर्ग-1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता परीक्षा हेतु बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड/मीलाना महाकुरुवहक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय-पटना द्वारा प्रदत्त मौखिक परीक्षा की मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इम्प्टरिपिडिडि (50 अंकों) के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं बशर्त वे पात्रता परीक्षा की अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों।  
वर्ग-1 से 5 के विशेष विद्यालय अध्यापक की पात्रता परीक्षा हेतु इम्प्टरिपिडिडि में 50 अंकों के बांग्ला में उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं बशर्त वे पात्रता परीक्षा की अन्य सभी शर्तों को पूरा करते हों।

यदि भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डी0ई0एल0 एड0 सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में डी0ई0एल0 एड0 के समकक्ष हो, के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR No- धारित करता हो।  
(ख) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में उच्च माह का अध्यापन प्रशिक्षण।

(ii) वर्ग 6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता:-  
(क) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डी0 एड0 के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR No- धारित करता हो।  
या  
डी0 एड0 के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में डी0 एड0 के समकक्ष हो एवं भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध CRR No- धारित करता हो।

(ख) अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में उच्च माह का अध्यापन प्रशिक्षण।  
नोट :- 1. (i) केन्द्र-अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इम्प्टरिपिडिडिडि अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। (ii) केन्द्र-अथवा राज्य सरकार के अधिनस्थित से गठित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत स्नातक का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

नोट :- 2. वर्ग-6 से 8 के बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 हेतु भाषा विशेष (संस्कृत, हिन्दी, बांग्ला, अंग्रेजी एवं उर्दू) के आवेदक द्वारा स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा/अनुषांगिक (Subsidiary) विषय के रूप में संबन्धित भाषा पठित हो। वर्ग-6 से 8 के विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा में सामाजिक विज्ञान विषय अन्तर्गत स्नातक स्तर पर इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं गृहविज्ञान में से कोई दो विषय पठित हो।

वर्ग-6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान में से कोई दो विषय पठित हो।  
नोट:- 3. भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ स्थिरीकृत करा जायेगा कि संबंधित उम्मीदवार विशेष विद्यालय अध्यापक के पद पर पर्युक्ति प्राप्त करने में सफल नहीं होकर उच्चतर माध्यमिक प्रशिक्षणार्थी के निर्णय की स्थिति में इसे प्रशिक्षणार्थी प्रारंभ होने की तिथि से 02 वर्ष के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षणार्थी को पूर्ण करने हेतु युवा आवश्यक (अधिकतम 06 माह तक) सैवैतिक अवकाश मान्य होगा।

4. बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।  
नोट:- 5. दस मार्गदर्शिका में वर्णित कोई प्राधान्य भारतीय पुनर्वास परिषद के प्रावधान के अनुकूल नहीं होने की स्थिति में भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुकूल स्वरु: संशोधित समझा जायेगा।

8. प्रमाण पत्र :-  
(क) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, (BSSTET), 2023 में पेपर-1 एवं पेपर-2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। (ख) बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 के उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की श्रेणी जीवनपर्यन्त (Lifetime) होगी।  
9. परीक्षा शुल्क

| क्र० सं० | श्रेणी   | परीक्षा शुल्क की निर्धारित राशि     |                                       |  |
|----------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
|          |  | पेपर-1 अथवा पेपर-2 (एक पेपर के लिए) | पेपर-1 एवं पेपर-2 (दोनों पेपर के लिए) |  |
| 1.       | सामान्य वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 960/- ₹०                            | 1440/- ₹०                             |  |
| 2.       | अनुसूचित जाति/अनु०जनजाति/दिव्यांग  | 760/- ₹०                            | 1140/- ₹०                             |  |

10. नॉर्मलाइजेशन (Normalization):  
(क) Computer Based Test (CBT) विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएँ, जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, का आयोजन एक से अधिक पालियों (Sitting) / तिथियों (Dates) में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में सामान्यता अलग-अलग पालियों में प्रश्न पत्रों के अलग-अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व Normalization की विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि नहीं हो। इसलिए इस परीक्षा में भी Normalization विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जायेगा।  
(ख) Normalization की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी Normalized Score होगा, वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता का निर्धारण इसी प्राप्तांक (Normalised Score) के आधार पर कठिनाई संख्या-4 में दिए गए उत्तीर्णता प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि Raw Score (Raw Score = वही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक) के आधार पर।

(ग) उदाहरणस्वरूप, किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी का 150 अंकों की परीक्षा में Raw Score 76 है तथा Normalization प्रक्रिया के उपरांत उसका Normalized Score 74.90 आता है तो निर्धारित उत्तीर्णता (150 का 50% = 75) प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा।  
(घ) ध्यान दें कि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निर्दिष्ट मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किन्तु Normalization की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों के गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में Normalization Score में ऋणमूलक प्रभाव आ सकता है।

11. प्रवेश परीक्षा की अवधि :- Computer Based Test (CBT) विधि से आयोजित बिहार विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 की अवधि 150 मिनट (2:30 घंटा) की होगी।  
12. परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि :- अभ्यर्थी को समिति की वेबसाइट <https://www.bsebstet.com/> पर जाकर Click करना होगा। Click करने पर Bihar Special School Teacher Eligibility Test, (BSSTET) 2023 का लिंक खुलेगा, जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व आवेदक सुनिश्चित हों कि वे हेतु विवरण युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध कदापि मान्य नहीं होगा।

13. परीक्षा आवेदन-पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत है :-  
(i) वेबसाइट <https://www.bsebstet.com/> पर आवेदन की प्रक्रिया तीन चरण में पूर्ण होगी:-  
(A) पंजीकरण, (B) फॉर्म भरना (C) भुगतान करना

(ii) पंजीकरण- प्रथम बार में अभ्यर्थी "Register (New Candidate)" पर क्लिक करेंगे। तत्पश्चात् Initial Registration का पेज खुलेगा। रजिस्ट्रेशन पेज पर आवेदक अपनी संबंधित सूचनाएँ भरेंगे एवं Submit बटन पर क्लिक करेंगे। Submit करने के पश्चात् आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल पर SMS के माध्यम से पासवर्ड भेजा जाएगा। User ID आवेदक का पंजीकृत मोबाइल नम्बर रहेगा। जिसका उपयोग कर Login कर सकते हैं।  
(iii) फॉर्म भरना- आवेदक को मोबाइल पर उपलब्ध कराये गये पासवर्ड के सहयोग से पोर्टल के मुख्य पेज पर Login करने पर आवेदन-पत्र का पेज खुलेगा। आवेदन प्रश्न में कुछ बाँक्स पूर्व से भरे होंगे। जिसमें आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन के समय भरा गया है। (iv) पेज पर अभ्यर्थी अपना व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक विवरण भरेंगे।

(v) अपलोड करने योग्य फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर :- अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 20 kb से 100 kb तक एवं आयाम 3.5cmx4.5 cm होना चाहिए एवं हस्ताक्षर का स्कैन किया हुआ साइज 10 kb से 50 kb तक होना चाहिए।  
(vi) रीजन फोटोग्राफ हाल (Recent) का होना चाहिए एवं फोटोग्राफ का Background सफेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए एवं केंद्र के सामने का सीधा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आँखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए।  
(vii) फोटो छिपाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला शर्मा स्लीव नहीं पहनें।  
(viii) परीक्षा शुल्क का भुगतान करना:- आवेदन पत्र भरने के उपरांत Make Payment का Options खुल जायेगा। तत्पश्चात् Select Payment Gateway में से किसी एक Payment Gateway को Select कर भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान Debit Card/Credit Card/Net Banking/ UPI के माध्यम से करने की अनुमति होगी। इसके अलावे अन्य केंद्रों माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान स्वीकार नहीं होगा।

14. प्रमाण पत्र को अपलोड करना:- अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की स्वसिग्नाप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे :-  
a) मैट्रिक (10<sup>th</sup>) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (जन्म तिथि के लिए)।  
b) इंटर (12<sup>th</sup>) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।  
c) स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।  
d) बी.एड (विशेष शिक्षा) / डी0ई0एल0एड0(विशेष शिक्षा) / डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में डी0ई0एल0एड0 के समकक्ष हो, का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

e) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र  
f) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र  
g) अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा क्रीमीलेयर रहित अदलत प्रमाण पत्र  
(नोट :- आरक्षण का दावा करनेवाली विवाहित महिलाओं की जाति/अदलत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।  
h) दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रश्न में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।  
i) भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र।  
j) अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व FORM PREVIEW बटन को CLICK कर अपने द्वारा भरे गये ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर लें। यदि ऑनलाइन भरे गये आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो EDIT बटन पर क्लिक कर अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए SAVE बटन पर क्लिक करें।

15. अभ्यर्थी का यूपर आई0डी0 एवं पासवर्ड को अभ्यर्थी भविष्य के लिए सुरक्षित रख लेंगे एवं इसकी गोपनीयता बनाये रखेंगे। इस यूपर आई0डी0 एवं पासवर्ड को समिति कार्यालय में कदापि भी भेजें।  
16. सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पश्चात् एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात् लेंगे परीक्षा आवेदन पत्र की पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जाँच कर लें। यदि कोई त्रुटि हो तो ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण विवरण को निश्चित रूप से सुधार कर लें। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध मान्य नहीं होगा।  
नोट:- ऑनलाइन के अलावे किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन-पत्र एवं परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

17. यह आवश्यक है कि Online परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरना होगा। किसी आवेदक का अग्रणी रूप से भरा हुआ या दूसरे के द्वारा भरा गया अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत/रद्द कर दिया जायेगा।  
18. ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गये विवरण अथवा उनके द्वारा अपलोड किये गये अभिलेख गलत पाये जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका अभ्यर्थित/परीक्षाफल प्रकाशित कर दिया जायेगा।  
19. घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTER) का प्रयोग वर्जित है।  
20. आवेदन पत्र भरने के पश्चात् आवेदक अपने आवेदन फॉर्म की एक हार्ड कॉपी डाउनलोड करेंगे एवं सुरक्षित संघारित रखेंगे। भरे गये आवेदन में किसी प्रकार की गलत जानकारी दिए जाने पर उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

21. इस परीक्षा से संबंधित सूचना/जानकारी के लिए हेल्प लाइन नम्बर- 8535004817 पर सम्पर्क कर सकते हैं अथवा Helpdesk Email ID: [bsebstetgrievance@gmail.com](mailto:bsebstetgrievance@gmail.com) पर भेजी जा सकती है।  
22. सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि सभी तरह की अत्यंत सूचनाओं के लिए समिति की वेबसाइट <https://www.bsebstet.com/> एवं आवेदन पत्र में दिये गए अपने ईमेल का अवगत अवलोकन कर सकते हैं।

23. इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने के इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी को परामर्श दिया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणों को पूर्णतः सही-सही भरना जाना सुनिश्चित करेंगे।  
24. अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से भरे गए आवेदन पत्र में दिए गए विवरण युक्त प्रवेश पत्र ही निर्गत किया जाएगा। मूल प्रवेश पत्र निर्गत होने के उपरांत किसी भी विवरण में किसी भी संशोधन का अनुरोध कदापि मान्य नहीं होगा।

25. उक्त परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख विज्ञापित की कठिनाई 6-7 में अंकित शैक्षणिक/प्रशासनिक योग्यता को पूर्ण नहीं करता है, तो उसका अपूर्ण निश्चित किसी भी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है।  
26. ऑनलाइन आवेदन के क्रम में वांछित विवरणों को सही-सही भरा जाएगा। किसी भी स्तर पर त्रुटिपूर्ण विवरण अंकित करने के लिए अभ्यर्थी स्वयं दोषी होंगे तथा उनका अभ्यर्थित किसी भी स्तर पर समाप्त किया जा सकता है।  
27. अन्तिम रूप से आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा (BSSTET), 2023 से संबंधित किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार करने का दावा मान्य नहीं होगा। अंतः अपना आवेदन पत्र वास्तविक एवं सही रूप में भरी जायेगी।  
28. अर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं निर्धारित प्रकाश के तहत परीक्षा शुल्क की राशि नहीं जमा होने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दी जाएगी, जिसकी जावाबदेही संबंधित अभ्यर्थी की होगी।  
29. विज्ञापित किसी भी विन्दु पर विसंगति की स्थिति में शिक्षा विभाग का निर्णय/आशय मान्य होगा। परीक्षा नियंत्रक (विधि)